प्रकाशन का 42 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

# शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 43 अंक – 46 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 12 – 19 नवम्बर 2018 मूल्य पांच रूपए

## सर्वोच्च न्यायालय में एचपीसीए प्रकरण पर आया नया मोड़

# कॉलिज का आवासीय परिसर गिराये जाने को लेकर दर्ज हुई एफआईआर भूल वश हुई रद्द

## इसी प्रकरण में दर्ज पहली एफ.आई.आर. राजनितिक प्रतिशोध का परिणाम-सर्वोच्च न्यायालय

**शिमला/शैल।** सर्वोच्च न्यायालय ने दो नवम्बर को दिये फैसले में एचपीसीए के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर 12 of 2013 ओर 14 of 2013 को एक ही कॉमन आदेश के साथ रद्द कर दिया था। लेकिन अब इसमें एफआईआर 14 of 2013 को भूलवश रद्द कर दिया जाना मानते हुए इस फैसले को वापिस ले लिया है। इस तरह यह एफआईआर अभी तक अपनी जगह बनी हुई है। स्मरणीय है कि धर्मशाला के राजकीय महाविद्यालय का एक दो मंजिला आवासीय परिसर क्रिकेट स्टेडियम के साथ लगता बना हुआ था और इसमें कॉलिज के प्राध्यापक आदि रह रहे थे। इस परिसर को क्रिकेट खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिये खतरा माना जा रहा था। वैसे क्रिकेट स्टेडियम के लिये करीब 49 हज़ार वर्ग मीटर भूमि 2002 में ही दे दी गयी थी। इसकी लीज़ 29 जुलाई 2002 को हस्ताक्षरित हुई थी और इस पर स्टेडियम का निर्माण भी शीघ्र ही हो गया था। लेकिन कॉलिज का आवासीय परिसर खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिये खतरा हो सकता है यह सवाल 2008 में उठा जब इस आश्य की एक बैठक तत्कालीन जिलाधीश के.के.पन्त की अध्यक्षता में 4.4.2008 को संपन्न हुई। इस बैठक में जिलाधीश के अतिरिक्त एसडीएम धर्मशाला, कार्यकारी अभियन्ता और सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग धर्मशाला, प्रिंसिपल राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला और एचपीसीए के पदाधिकारी संजय शर्मा भी शामिल हुए।

इस बैठक में खिलाड़ियों की सुरक्षा आवासीय परिसर की जर्जर हालत के कारण इसे किसी दूसरे स्थान पर तामीर करने पर विचार किया गया। बैठक में फैसला लिया गया कि कॉलिज प्रिंसिपल आवासीय परिसर को लेकर लोक निर्माण विभाग से अधिकारिक रिपोर्ट लेगे। तहसीलदार को पत्र लिखकर इस परिसर के लिये सरकार द्वारा किसी अन्य स्थान पर भूमि उपलब्ध करवाने का आग्रह करेंगे। शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर आवासीय परिसर के निर्माण के लिये धन उपलब्ध करवाने का आग्रह करेंगे। इसी के साथ यह भी फैसला हुआ कि एचपीसीए भी इसके निर्माण के लिये धन देगी। इस बैठक के फैसलों की अधिकारिक जानकारी 24.

5.2008 को उच्च शिक्षा निदेशक

और मुख्यमंत्री कार्यालयों को भी भेज दी गई। इसमें यह भी कह दिया गया कि यह बैठक मुख्यमंत्री के निर्दशों पर बुलाई गयी थी। यह बैठक सरकार के अधिकारियों की अधिकारिक बैठक थी लेकिन इसमें एचपीसीए के संजय शर्मा के शामिल होने से इसका पूरा चरित्र ही बदल गया। इस बैठक में जो फैसले लिये गये उन पर अमल की स्थिति क्या है इसकी कोई रिपोर्ट आने से पूर्व ही इस परिसर को गिरा दिया गया। यह परिसर 720 वर्गमीटर भूमि पर स्थित था और इस तरह एचपीसीए ने इस पर अपने आप ही कब्जा कर लिया। यहां तक हुआ कि तत्कालीन शिक्षा सचिव पीसी धीमान ने तो दो कदम आगे जाते हुए यह कह दिया कि आवासीय परिसर के निर्माण के लिये एचपीसीए से धन लेने की आवश्यकता नही है। लेकिन इस 720 वर्ग मीटर भूमि को लेने के लिये एचपीसीए का आवेदन 3.7.2008 को आया। इससे यह सवाल खड़ा हुआ कि 4.4.2008 की बैठक में एचपीसीए के संजय शर्मा कैसे शामिल हो गये। यह 720 वर्ग मीटर भूमि एचपीसीए को आज तक आंबटित नही लेकिन इस पर कब्जा एचपीसीए ने कर रखा है और इसी अवैध कब्जे और आवासीय परिसर को अवैध रूप से गिराये जाने को लेकर ही दूसरी एफआईआर 14 of 2013 को दर्ज हुई थी। जो अब तक रद्द नही हुई है।

पहली एफआईआर 12 of 2013 स्टेडियम के लिये जमीन लीज पर दिये जाने को लेकर हुई थी। यह लीज 2002 में हस्ताक्षरित हुई थी जिसमें 49 हजार वर्ग मीटर से अधिक भूमि दे दी गयी जबकि उस समय के लीज रूल्ज के मुताबिक खेल संघों को दो बिस्वे से अधिक जमीन नही दी जा सकती थी। इस लीज का किराया भी टोकन एक रूपये किया गया है। 2002 में दी गयी लीज नियमों के विरूद्ध थी इसी को लेकर एचपीसीए के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इसमें जब एचपीसीए ने सरकार से जमीन मांगी थी तब उसने इसका उद्देश्य क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करना स्पष्ट रूप से कहा है स्वभाविक है कि स्टेडियम का निर्माण दो बिस्वा में नही हो सकता। नियम दो बिस्वा का था तो इसकी जानकारी संबधित अधिकारियों को सरकार के सामने रखनी थी जो नही रखी गयी। इस सब में तकालीन निदेशक युवा सेवाएं एवम् खेल सुभाष आहलूवालिया और सचिव टीजी नेगी ने विशेष भूमिका निभायी है बल्कि इन्ही के कारण एचपीसीए को यह जमीन मिली है। यह उस समय सरकार को फैसला लेना था कि प्रदेश में एक अच्छा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम चाहिये या नही लेकिन इन अधिकारियों ने सरकार के सामने यह सब नही रखा। अन्यथा संभव था कि सरकार लीज नियमों में उस समय संशोधन कर लेती जो 2012 में किया गया। सरकार बदलने के बाद जब विजिलैन्स ने इस पर मामला दर्ज किया तब इस मामले में प्रभावी भूमिका निभाने वाले अधिकारियों को दोषी नामजद नही किया गया।

इस मामले में सुभाष आहलूवालिया, सुभाष नेगी, टीजी नेगी, अजय शर्मा, दीपक सानन, गोपाल चन्द, के.के. पन्त, पी.सी.धीमान और देवी चन्द सहित नौ अधिकारियों की प्रमुख भमिका रही है। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि यदि इस पूरे प्रकरण में कोई पहले दोषी बनते है तो यही अधिकारी हैं क्योंकि इन्होंने कभी भी रिकार्ड पर सरकार के सामने सही स्थिति नही रखी। यदि इन अधिकारियों ने नियमों की सही जानकारी राजनीतिक नेतृत्व के सामने रखी होती और नेतृत्व इसे अनदेखा करके अधिकारियों को लीज हस्ताक्षरित करने के निर्देश दे देता तो सिर्फ नेतृत्व की ही जिम्मेदारी हो जाती परन्तु ऐसा हुआ नही। लेकिन विजिलैन्स ने जब मामला दर्ज किया और जांच आगे बढ़ाई तब सभी सवंद्ध अधिकारियों को एक बराबर इसमें दोषी नामजद नही किया। जिन्हें नामजद किया भी उनके खिलाफ आगे चलकर मुकद्दमा चलाने की अनुमति देने से इन्कार हो गया। वीरभद्र के पूरे कार्यकाल में इसी एक एचपीसीए प्रकरण पर विजिलैन्स का सारा ध्यान केन्द्रित रहा। इसी कारण से एचपीसीए ने एक स्टेज पर वीरभद्र को भी इसमें प्रतिवादी बना दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इसी आधार पर पहली एफआईआर को रद्द कर दिया। क्योंकि उसमें मामले में संलिप्त रहे अधिकारियों को छोड़ दिया गया और कवेल राजनीतिक लोगों के खिलाफ ही कारवाई की गयी। इसी पर सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरे प्रकरण को एक प्रकार से राजनीति प्रतिशोध करार देते हुए एफआईआर को रद्द किया है।

अभी सर्वोच्च न्यायालय में एक मामला लंबित चल रहा है इसमें एचपीसीए ने राज्य सरकार, वीरभद्र सिंह और एडीजीपी तथा एसपी विजिलैन्स को प्रतिवादी बना रखा है। यह मामला 12.11.18 को सुनवाई के लिये लगा था। उसके बाद 19.12.18 को जब यह सुनवाई के लिये आया तब वीरभद्र सिंह के वकील ने यह अदालत के सामने रखा कि आवासीय परिसर को गिराये जाने को लेकर दर्ज हुई एफआईआर को गलती से रद्द कर दिया गया है। इसमें प्रतिवादी बनाये गये वीरभद्र सिंह की ओर से उनका पक्ष ही अदालत में नही रखा गया है यह सामने आते ही अदालत ने इसे गलती मानते हुए इसकी अगली सुनवाई 29.11.18 को रख दी है। इस तरह यह एफआईआरअभी तक यथास्थिति बनी हुई है और इसमें संलिप्त अधिकारियों की परेशानी बढ़ने की पूरी-पूरी संभावना बनी हुई है।

# मीडिया की राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका: राज्यपाल

**शिमला/शैल।** राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने चण्डीगढ़ स्थित हरियाणा भवन में इण्डियन जनर्लिस्ट फोरम के स्थापना दिवस तथा राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए कहा कि मीडिया की राष्ट्र निर्माण में हमेशा ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होने कहा कि आज मीडिया को राष्ट्रहित में सकारात्मक सोच के साथ कार्य करने की आवश्यकता है ताकि समाज सही दिशा में अग्रसर हो सके।

राज्यपाल ने पत्रकारों को बधाई देते हुए कहा कि मीडिया ने समाज को जागरूक तथा सतर्क करने का कार्य किया है और हमारी दिनचर्या समाचार पत्रों के पढ़ने से ही शुरू होती है। इसके बिना हम अपने आप को अधूरा पाते हैं। उन्होने कहा कि मीडिया ने विश्व को छोटा कर दिया है और हम मीडिया के माध्यम से एक ही स्थान पर विश्वभर की घटनाओं व समाचारों से परिचित हो जाते हैं। उन्होने चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि आज प्रिंट मीडिया कुछ कठिनाईयों से गुजर रहा है, हालांकि इसकी विश्वसनीयता आज भी उच्च स्तर पर कायम है। ऐसे में प्रिंट मीडिया का वृद्धि अति आवश्यक है।

उन्होने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथ स्तम्भ है। उन्होने माना कि सरकार की तरफ से मीडिया को और अधिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए ताकि वे प्रभावी ढंग से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सके। उन्होने कहा कि मीडिया को अपनी निष्पक्षता व विश्वसनियता बनाए रखने के लिए और अधिक ध्यान देना चाहिए। उन्होने कहा कि आज कुछ गैर पत्रकारों ने मीडिया जगत में प्रवेश किया है और मीडिया से जुड़े लोगों को ऐसे लोगों की स्वयं पहचान करनी चाहिए ताकि वे मीडिया को बदनाम न कर सके।

राज्यपाल ने विकासात्मक व सकारात्मक पत्रकारिता पर बल देते हुए कहा कि हिमाचल में उन्होंने कई सामाजिक मुद्दों से सम्बन्धित पहलों की शुरूआत की है, जिसके लिए उन्हें मीडिया से भारी समर्थन मिला है। उन्होंने मीडिया कर्मियों से सामाजिक कल्याणकारी गतिविधियों को प्रमुखता देने का आह्वान किया ताकि समाज में सकारात्मक सोच पैदा हो सके।

इस अवसर पर राज्यपाल ने पत्रकारों को हरियाणा पत्रकार कल्याण पुरस्कार भी प्रदान किए। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने हरियाणा सरकार द्वारा मीडिया को प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाओं के बारे में जानकारी दी।

इससे पूर्व, भारतीय पत्रकार कल्याण फोरम के अध्यक्ष पवन अग्री ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा फोरम की गतिविधियों बारे जानकारी दी।

थानेसर के विधायक सुभाष सुधा, हरियाणा राज्य सूचना आयुक्त शिव रमन गौड़ तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

**NOTICE INVITING TENDER**
**HP.PWD KANGRA**

Sealed item rate tenders on form 6 & 8 are invited by the Executive Engineer, Kangra Division, HP: PWD, Kangra on behalf of the Governor of Himachal Pradesh from the approved and eligible contractors/firms enlisted in HPPWD in the appropriate class for the work mentioned below on 06-12-2018 up to 10-45 A.M. and will be opened on the same day at 11-00 A.M. in the presence of intending contractors or their authorized representatives. The tender forms can be obtained from his office on cash payment (non refundable) on any working day from 03/12/2018 to 05/12/2018. The applications for the issue of tender forms will be received latest by 04/12/2018 up to 12.00 Noon. The applications for issue of tender forms accompanied with enlistment letter/or renewal letter and the earnest money in the shape of National Saving Certificates/Saving Account/Time deposit Account in any of the Post Office in Himachal Pradesh duly pledged in favour of Executive Engineer, Kangra Division, HPPWD, Kangra.
The conditional tenders and the tenders received without earnest money will summarily be rejected. The offer of the tender shall be kept open for 120 days.

**Work No.1:-** R/D on Tiara Dehrian Via Shamirpur road (SH:-Reconstruction of damaged abutement and down stream toe wall at RD 0/855) **Estimated cost**: Rs. 3,48,298/- **Earnest Money:** Rs. 7,000/- Time Limit Three Months Cost of tender 350/-.

**TERMS & CONDITIONS:-**
1. The contractors/firms should be registered as or/dealer under HP Sales Tax Act.1968/GST.
2. The intending contractors/firms shall have to produce the copy of latest enlistment and renewal enlisted in HPPWD.
3. The contractors is required to submit an affidavit for not having more than two works in hand in the shape of affidavit duly attested by the competent authority.
4. If any of the date mentioned above happened to be Gazetted Holiday the same shall be processed on next working day.
5. The contractor should quoted the rates of all the items in the tender both in figures and in words failing which tender is likely to be rejected.
6. The copy of Employees Provident Funds (EPF Number) should be attached with the application.
7. Minimum one similar work done of amount not less than 40% (forty percent) of the estimated cost (without Liquidated Damage or compensation) in last five years).
8. The Earnest Money for the above works should be required at the time of sale of tender forms.
9. All the required document should be submitted with the application otherwise single application may be rejected.
10. The Executive Engineer reserves the right to accept/reject any tender/ application or all tenders without assigning any reason.

Adv. No.-3222/18-19 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

# वेदों में समाज को दिशा प्रदान करने की शक्ति: देवव्रत

**शिमला/शैल।** पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ द्वारा महर्षि सन्दीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के तत्वाधान में 'पंजाब में वैदिक अध्ययन की परम्परा तथा वैदिक सामाजिक मूल्य' विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन सम्पन हुआ।

सम्मेलन के समापन समारोह में बतौर मुख्यातिथि सम्बोधित करते हुए राज्यपाल आचार्य देव्रवत ने कहा कि वेद हमारी संस्कृति के आधार हैं, जो मानवता तथा भाईचारे का सन्देश देते हैं। उन्होने कहा कि वेदों का सन्देश प्रसारित कर हम समाज में शान्ति और सौहार्द कायम कर सकते हैं।

उन्होने कहा कि पंजाब सन्तों और महात्माओं की भूमि है और वैदिक संस्कृति की परम्पराओं का अनुसरण कर रही है। उन्होने कहा कि वेदों में समाज को सही दिशा में मार्गदर्शन करने की शक्ति है। उन्होने कहा कि स्वामी दयानन्द जी तथा स्वामी श्रद्धानन्द जी ने पंजाब में वैदिक संस्कृति के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया और आज हमें इस परम्परा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के कुलपति प्रो. हरमोहेन्द्र सिंह ने इस अवसर पर राज्यपाल का स्वागत किया और पंजाबी राम काव्य लिपि का विवरण दिया तथा बहुमूल्य वैदिक संस्कृति के संरक्षण पर बल दिया। उन्होने राज्यपाल को 'भारतीय भाषाओं में राम कथा-पंजाबी भाषा' पुस्तक भेंट की। वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के सचिव डॉ. वीरूपक्ष वी. जद्दीपाल ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे।

डीएवी प्रबन्धन समिति नई दिल्ली के सलाहकार हंसराज गन्धार ने स्वामी दयानन्द सरस्वती की शिक्षाओं पर प्रकाश डाला।

# 20 मेधावी छात्रों को मिलेगी एकमुश्त छात्रवृति: मुख्यमंत्री

**शिमला/शैल।** राज्य सरकार मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना के तहत बाल आश्रमों की संयुक्त योग्यता सूची में आने वाले 10 छात्रों और 10 छात्राओं प्रत्येक को 10000 रुपये की एकमुश्त छात्रवृति प्रदान करेगी। यह छात्रवृति बाल आश्रम/बाल गृह में 8वीं से 12वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह बात राज्य के अनाथ आश्रमों में रहने वाले बच्चों की राज्य स्तरीय खेलकूद व सांस्कृतिक प्रतियोगिता के समापन अवसर पर टुटीकण्डी के बालिका आश्रम में कही। यह प्रतियोगिता महिला एवं बाल कल्याण निदेशालय ने आयोजित की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए हर सम्भव सहायता प्रदान करेगी ताकि वह अपनी आजीविका चलाने में सक्षम बन सकें।

उन्होने कहा कि ऐसे छात्रों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आवश्यक है कि उन्हें अच्छे अध्यापक उपलब्ध करवाएं जाएं और उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा कराई जाए ताकि वह भारत के अनूठे रीति-रिवाजों को देख व महसूस कर सकें। जय राम ठाकुर ने कहा कि दिवाली के मौके पर भी वह इस आश्रम में आए थे और छात्रों की प्रतिभा से बेहद प्रभावित हुए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 48 पंजीकृत आश्रम हैं, जिनमें से सात राज्य सरकार चला रही है। राज्य सरकार द्वारा संचालित इन आश्रमों में रहने वाले छात्रों को सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं प्रदान करना सुनिश्चित बनाया जा रहा है। उन्होने कहा कि राज्य सरकार बिना किसी आय सीमा के 70 वर्ष से अधिक आयु के बजुर्गों को प्रतिमाह 1300 रुपये की सामाजिक सुरक्षा पैंशन दे रही है।

उन्होने 1500 छात्रों को इस वर्ष 15 दिसम्बर तक गर्म जैकटें प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार भी प्रदान किए।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को विकास के मामले में पूरे देश में एक आदर्श राज्य बनाने की ओर अग्रसर है। उन्होने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने पहले ही फैसले में सामाजिक सुरक्षा पैंशन के लिए आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया। उन्होने इस आश्रम के समीप रिडका गांव से सीटीओ के लिए एचआरटीसी की टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया। महिला एवं बाल कल्याण विभाग के निदेशक राजेश शर्मा ने कहा कि तीन दिवसीय इस खेलकूद व सांस्कृतिक प्रतियोगिता में छात्रों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का पूरा अवसर मिला। इस प्रतिस्पर्धा में 425 छात्रों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि आश्रमों के 150 छात्र आज राज्य के अलग-अलग विभागों में विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे हैं।

**शैल समाचार**
**संपादक मण्डल**
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
**अन्य सहयोगी**
भारती शर्मा
सिनाक्षी शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

# राष्ट्रनिर्माण में शिक्षा का अहम योगदान:मुख्यमंत्री

**शिमला/शैल।** शिक्षा व्यक्ति विशेष ही नही समूचे समाज व राष्ट्र की उन्नति का आधार है। शिक्षा का व्यक्तित्व निर्माण में अह्म योगदान है। मुख्यमंत्री मण्डी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में आयोजित डी.ए.वी. सेन्टेनरी पब्लिक स्कूल मण्डी के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे कि प्रदेश सरकार का ध्येय न केवल गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना है अपितु शैक्षणिक संस्थानों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी है। उन्होने कहा कि प्रदेश में मेधावी व कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा छात्रवृतियॉ भी प्रदान की जा रही है। उन्होने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे शिक्षा के क्षेत्र में सफल होने के साथ-साथ देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण करने में भी अपना योगदान दें। उन्होने उच्च नैतिक मूल्यों को बनाये रखने का भी आग्रह किया ।

इससे पूर्व मुख्यमंत्रे ने दीप प्रज्जवलित करके कार्यक्रम का शुभारम्भ किया तथा विद्यालय की स्मारिका ''विजन'' का विमोचन किया।

# तकनीकी शिक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता: बिक्रम सिंह

**शिमला/शैल।** उद्योग एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने तकनीकी शिक्षा, वोकेशनल व औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होने संबंधित अधिकारियों को राज्य व केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को समय सीमा के भीतर लागू करने के लिए निर्देश दिए, ताकि आम लोगों को इनका लाभ मिल सके।

उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार तकनीकी शिक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रही है। उद्योगों में कुशल पेशेवरों की ज्यादा मांग है, ऐसे में तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने वालों को दूसरे छात्रों की तुलना में रोजगार मिलने की ज्यादा संभावना रहती है। इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निकल कॉलेजों, बी-फार्मेसी कालेजों और आईआईटी जैसे विभिन्न तकनीकी शिक्षण संस्थानों में छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जा रही है ताकि उन्हें उद्योगों में रोजगार हासिल करने में आसानी हो।

बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि उद्योगों में उत्कृष्ठता लाने के लिए तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले अध्यापकों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। छात्रों को अध्यापकों के अनुभव का पूरा लाभ मिलना चाहिए। छात्रों की प्लेसमेंट को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि यह संस्थान में प्रदान की गई शिक्षा का परिणाम होता है। उन्होने विभिन्न शिक्षा संस्थानों के प्रमुखों का नई सोच के साथ काम करने का आह्वान किया और नए विचारों को लागू करने के लिए कड़ी मेहनत करने को कहा।

उन्होंने कहा कि आईटीआई संस्थानों में मशीनें व उपकरणों की खरीद, वन स्वीकृतियां और अध्यापकों को नियुक्ति के लिए धनराशि का प्रबंध करने को प्राथमिकता दी जाएगी। अध्यापकों और विभाग के अधिकारियों के लिए कार्यशालाओं का आयोजिन किया जाना चाहिए। राज्य में बेहतरीन तकनीकी शिक्षा प्रदान के लिए हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, उद्योग निदेशालय व एडीबी मिलकर काम कर रहे हैं।

# कुछ भी परोसा जा रहा सोशल मीडिया पर: मुख्यमन्त्री

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीडिया की भूमिका को महत्वपूर्ण करार देते हुए डिजिटल मीडिया में जिम्मेदारी के अभाव को लेकर आगाह किया हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया खास कर सोशल मीडिया में कुछ जगहों पर लोगों के सार्वजनिक व पारिवारिक जीवन की चिंता किए बगैर कुछ भी परोस दिया जा रहा हैं, यह पीड़ादायक हैं।

वह प्रदेश सूचना व जन सम्पर्क विभाग की ओर से राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर डिजिटल युग में पत्रकारिता आचार नीति एवं चुनौतियां विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के मौके पर बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने इसे अपना व्यक्तिगत हिसाब-किताब पूरा करने का माध्यम बना दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दूसरे राज्यों के मुकाबले पत्रकारिता का स्तर बहुत अच्छा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गंभीर पत्रकारिता की जरूरत हैं, हालांकि आज जितनी चुनौतियां पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं उतनी किसी अन्य पेशे में नहीं है। आज के दौर में जिनके बारे में पत्रकार लिखते हैं उनके बारे में ही नहीं बल्कि पत्रकारों के बारे में भी धारणा बनती है। लोग अपनी-अपनी राय बनाते हैं। ऐसे में सही छवि होना जरूरी है। पत्रकारिता में संतुलन किस तरह रखना है ये कला आनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि पत्रकारों को अगर अच्छा लगे तो अच्छा लिखे। अगर बुरा लगे तो बुरा लिखे लेकिन जब बुरा लिखे तो इतनी गुंजाइश जरूर रखे कि सरकार उसे कैसे ठीक करे।

उन्होंने कहा उनका भी दिल करता है कि वह भी लिखे। कभी लिखने का मौका मिला तो जरूर लिखेंगे। उन्होंने कहा कि उनका लेखन पत्रकारों के लिए चुनौती नहीं होगा।

इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस के शिमला में वरिष्ठ पत्रकार रहे अश्वनी शर्मा ने कहा कि पत्रकारिता में आज सत्यता का संकट हैं। डिजिटल व सोशल मीडिया के आगमन से कई संकट सामने आए हैं। कंटेट कौन तैयार कर रहा है व उसका मालिक कौन है ये किसी को पता नहीं है। ऐसे में निगरानी व नियामक तंत्र होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज ने मीडिया के सामने बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। इससे निपटा जाना जरूरी है।

इसके अलावा आज के दौर में पत्रकारिता की भूमिका को पुनर्भाषित करना जरूरी हो गया है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रोहित सावल ने कहा कि तकनीकी तेजी के साथ बदल रही है, हर रोज कुछ नया देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया भविष्य का मीडिया है। उन्होंने कहा कि गति के साथ आचार नीति को नजर अंदाज नहीं किया जाना चाहिए। प्रदेश विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभाग के सह-आचार्य विकास डोगरा ने कहा कि समाचार परोसते समय पूरी जबावदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने डिजिटल युग में समाचार के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डिजिटल मीडिया बनावटी समाचार एकत्र करने की सोच को प्रोत्साहित कर रहा है।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार के मीडिया के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध हैं।

# हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने खुद को मारी गोली

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष व सेना से बतौर मेजर जनरल सेवानिवृत्त हुए सीएम शर्मा ने अपने मकान में अपनी पिस्तौल से कनपटी पर गोली मार कर आत्महत्या कर ली।

शर्मा की लाश सुबह 11 बजे के करीब उनके हालीलॉज के समीप स्थित मकान में मिली है। पूरे बेसमेंट में जहां उनकी लाश मिली है खून ही खून था। मेजर जनरल सीएम शर्मा ने अपनी लाइसेंसी 7.62 एमएम पिस्तौल से अपनी कनपटी पर गोली मार दी।

पुलिस ने लाश को बरामद कर लिया है। साथ ही पुलिस को बेसमेंट से ही सुसाइड नोट भी मिला है।

पुलिस के मुताबिक सीएम शर्मा किसी बीमारी से परेशान थे व अलग कमरे में सोते थे। उस शाम को भी वह रोजाना की तरह अपने कमरे में सो गए थे। लेकिन जब सुबह उनकी पत्नी ने उन्हें कमरे में ढूंढा तो वह कमरे में नहीं मिले। इसके बाद उन्होंने सोचा कि शर्मा कहीं बाहर चले गए होंगें। लेकिन जब काफी देर तक वह नहीं लौटे तो इधर-उधर तलाश की। आखिर में बेसमेंट में तलाश की तो वह बेसमेंट में फर्श पर गिरे पड़े थे और चारों ओर खून ही खून था।

इस पर ग्यारह बजे के करीब पुलिस को जानकारी दी गई। थाना सदर पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए मौके का जायजा लिया और मौके से लाश के अलावा पिस्तौल और सुसाइड नोट अपने कब्जे में लिया।

एसपी शिमला ओमापति जम्वाल ने कहा कि अभी साधारणतय: आत्महत्या का मामला लग रहा है। हालांकि अभी जांच जारी है कि सुसाइड नोट में क्या लिखा है, इस बावत उन्होंने कुछ भी बताने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी ने सुबह इस बावत पुलिस को जानकारी दी थी।

पुलिस ने इंदिरा गांधी मेडिकल अस्पताल में पोस्टमार्टम करा दिया है। शर्मा के दो बेटे हैं जिनमें से एक दुबई में व दूसरा मुबई में है। इन दोनों के आने पर सुबह लाश को परिजनों के हवाले किया। जानकारी के मुताबिक शर्मा का पिछले दो सालों से इलाज चल रहा था। समझा जा रहा है कि सुसाइड नोट में उन्होंने अपनी बीमारी की परेशानी का जिक्र करते हुए आत्महत्या की बात स्वीकारी है।

मेजर जनरल सीएम शर्मा जनवरी 2009 में तत्कालीन भाजपा की धूमल सरकार में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यज्ञ नियुक्त हुए थे।

सेना में रहते हुए उन्होंने लद्दाख में आर्टिलरी रेजीमेंट की कमान संभाली थी व आतंकवाद के दौर में वह जम्मू कश्मीर में आर्टिलरी ब्रिगेड के कमांडर भी रहे थे।

# दस महीने का हिसाब मांगने से पहले अपने दशकों का हिसाब दें कांग्रेस:जयराम

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिमला जिला के रामपुर बुशैहर में आयोजित चार दिवसवीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के समापन समारोह से पहले झाकड़ी में आयोजित जनसभा में कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार को प्रदेश की बागडोर संभाले अभी 10 महीने का ही कार्यकाल हुआ है और विपक्ष के नेता उनके काम का हिसाब मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अल्पावधि में हिसाब मांगने वालों को अपने दशकों का हिसाब देना चाहिए। इस अवधि के दौरान जहां जनहित के अनेक फैसले लिए गए हैं वहीं राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए अनेक योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि टोपी पर राजनीति करना अच्छी बात नही है। टोपी किस रंग की हो इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए क्योंकि टोपी हमारी संस्कृति की पहचान है और वह सभी रंगों का सम्मान करते हैं। इसी प्रकार हिमाचल एक है और उपरी व निचले हिमाचल की बात का कोई महत्व नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में नाथपा झाखड़ी की बहुत बड़ी व महत्वपूर्ण परियोजना है व सरकार विस्थापितों की पीड़ा को समझती है और उनकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को इस परियोजना में कुल उत्पादन का एक प्रतिशत हिस्सा प्रदान करने का मामला वर्ष 2011 में भाजपा सरकार ने ही उठाया था और फिर से इस मामले को उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नाथपा झाखड़ी जल विद्युत परियोजना का दौरा भी किया।

बाद में लवी मेले का समापन करते हुए उन्होंने कहा कि मेले और त्योहार हमारी समृद्ध परम्पराओं, रीति-रिवाजों और संस्कृति के परिचायक हैं। उन्होंने कहा कि लवी मेला ऐतिहासिक होने के साथ तिब्बत, चीन अन्य देशों के मध्य व्यापारिक मेले के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की समृद्ध संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपये के विकासात्मक कार्यों की घोषणाएं की।

मुख्यमंत्री ने मेले में विभिन्न स्टालों हस्तशिल्प व हथकरघा उत्पादों के लिए पुरस्कार भी वितरित किए, जिनमें साडाबाई जिला कुल्लू डोलाराम को हस्तशिल्प में पहला पुरस्कार, मस्तराम मंडी को दूसरा, रुद्रमणि करसोग को तीसरा पुरस्कार दिया गया। हथकरघा में सांगला सोनम छेतन को पहला, निचार के यशवन्त नेगी को दूसरा, मणि हैंडलूम को तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी प्रकार विभागीय प्रदर्शनियों में पशुपालन विभाग को पहला, कृषि व बागवानी को संयुक्त रूप से दूसरा, स्वास्थ्य व विद्युत विभाग को तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया।

इस अवसर पर स्थानीय नागरिक सुषमा सुखर्जी ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री को 51000 रुपए का चेक भेंट किया।

# मन्दिरों के चढ़ावे का 15 प्रतिशत गौवंश संरक्षण पर होगा खर्च:मुख्यमंत्री

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिमला के समीप टुटू में कामनापूर्णी गौशाला समिति द्वारा आयोजित 'गोपाष्टमी' समारोह में भाग लेते हुए कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में गौवंश को बचाने के लिए गौवंश संरक्षण बोर्ड का गठन किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की बागडोर सम्भालने के बाद राज्य

सरकार ने निर्णय लिया कि राज्य के मुख्य मन्दिरों के चढ़ावे का 15 प्रतिशत गौवंश संरक्षण पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शराब की प्रत्येक बोतल की बिक्री पर एक रुपया गौवंश के लिए लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एकत्रित राशि राज्य में गौसदनों तथा गौ अभ्यारणों के निर्माण व रख-रखाव पर खर्च की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है और इसके लिए बजट में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के लिए देसी नस्ल की गायों को पालना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिले में गौ अभ्यारण का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही राज्य के सभी जिलों में गौ अभ्यारणों तथा गौसदनों की स्थापना की जाएगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि सरकार परित्यकता पशुओं के संरक्षण के लिए महिला मण्डलों को प्रोत्साहित करेगी और इसके लिए उन्हें उपयुक्त अनुदान प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विकास खण्ड में सभी पशुओं को पंजीकृत करने तथा टैटू करने और पंचायतें जो पशुओं को आवारा नहीं छोड़ती ऐसी दो सर्वश्रेष्ठ पंचायतों को प्रत्येक को 10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने सब्जी उत्पादकों को सुविधा प्रदान करने के लिए क्षेत्र में सब्जी मण्डी के निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 'पुराण आहूति हवन' तथा 'गौ पूजा' रस्म में भी भाग लिया।

शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता डॉ. प्रमोद शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राज्य मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में उन्नति तथा खुशहाली के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए क्षेत्र में एक आधुनिक सब्जी मण्डी के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया।

कामनापूर्णी गौशाला समिति टुटू के अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया तथा समिति की विभिन्न गतिविधियों का विवरण दिया।

# झूठ बोलने की बजाय विकास पर ध्यान देती कांग्रेस तो आज भारत होता विकसित देश: अनुराग

**शिमला/शैल।** लोकसभा में पार्टी चीफ विप्प और हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने राफेल डील पर कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा झूठी ब्यानबाजी को देश की साख धूमिल करने का प्रयास बताते हुए कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी 60 सालों से झूठ बोलने की बजाए विकास करने पर ध्यान देती तो आज भारत एक विकसित देश होता।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए देश सर्वोपरि है और हम राष्ट्रीय सुरक्षा, अस्मिता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मगर इसके ठीक उलट कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने खोखले दावों और झूठी बातों राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय मंचों पर देश की साख को गिराने का प्रयास करते रहते हैं। "रान्स से राफेल डील देश की सुरक्षा संबंधी एक अहम सैन्य डील है जिसे लेकर शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी भ्रामक प्रचार और झूठी अफवाहें फैला रही है। राफेल लड़ाकू विमान बनाने वाली दसाल्ट एविएशन कम्पनी पर कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर कम्पनी के सीओ एरिक ट्रैपियर के स्पष्टीकरण ने राहुल गांधी को आईना दिखाने और उनके झूठ की पोल को खोलने का काम किया है।

कांग्रेस पार्टी यदि 60 सालों से झूठ बोलने की बजाए विकास करने पर ध्यान देती तो आज भारत एक विकसित देश होता। राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद से देश की वायु सेना को मजबूती मिलेगी और खुद सेना इस खरीद का समर्थन कर रही है। राफेल में रक्षा खरीद सौदे की तय प्रक्रिया का पालन किया गया है। 36 राफेल विमानों को खरीदने का सौदा करने से पहले डिफेंस एक्यूजिशन काउंसिल (डीएसी) की मंजूरी ली गई थी। इतना ही नहीं करार से पहले फ्रांस के साथ सौदेबाजी के लिए इंडियन नेगोसिएशन टीम (आइएनटी) गठित की गई थी, जिसने करीब एक साल तक सौदे की बातचीत की और खरीद सौदे पर हस्ताक्षर से पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीए) व काम्पीटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी (सीएफए) की मंजूरी ली गई थी। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी राफेल को लेकर अफवाहें फैला रही है जोकि उनकी राष्ट्रविरोधी मानसिकता दिखाता है।

एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। .....चाणक्य

सम्पादकीय

# मन्दिर-मस्जिद कब तक चुनावी मुद्दा रहेंगे

राम मन्दिर बनाम बाबरी मस्जिद विवाद एक लम्बे अरसे से देश की राजनीति का एक केन्द्रिय मुद्दा बना हुआ है। दिसम्बर 1992 को देश के भाजपा शासित राज्यों की सरकारें कैसे राम मन्दिर आन्दोलन की बलि चढ़ गयी थी यह सब हम देख चुके हैं। उसके बाद राममन्दिर कैसे चुनावी मुद्दा बन गया और इसी मुद्दे पर केन्द्र में सत्ता परिवर्तन हो गया यह भी देश देख चुका है। लेकिन राम मन्दिर के नाम पर सत्ता परिवर्तन होने के बावजूद आजतक मन्दिर का निर्माण नही हो पाया है। यह निर्माण न हो पाने के लिये अदालत में इस मुद्दे के लंबित होने को कारण बताया जा रहा है। स्मरणीय है कि इस मुद्दे पर 30 सितम्बर 2010 को इलाहबाद उच्च न्यायालय की तीन जजों पर आधारित पीठ का फैसला आया था। इस फैसले में इसकी 2.77 एकड़ ज़मीन को तीन बराबर हिस्सो में बांट दिया गया था। एक हिस्सा जहां पर राम की मूर्ति विराजमान है उसे रामलल्ला विराजमान को, राम चबूतरा और सीता रसोई वाली जगह निर्मोही अखाड़े को और बचा हुआ एक तिहाई हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया था। इलाहबाद उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई के दौरान 524 दस्तावेज, संस्कृत, पाली, फारसी, अरबी, उर्दू और हिन्दी के 42 ग्रंथों के संदर्भ में 87 गवाहों के कई हजार पृष्ठों में दर्ज ब्यान रिकार्ड पर आ चुके हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1970, 1976-77, 1992 और 2003 में की गयी खुदाई में मिले विभिन्न प्रमाणों को भी इसका हिस्सा बनाया गया है। इस सबकी समीक्षा करने के बाद पीठ ने यह फैसला दिया है लेकिन मामले के तीनों पक्षकार इस फैसले से सहमत नही हुए और तीनों ही सर्वोच्च न्यायालय में अपील में हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अबतक की सुनवाई में यह कह दिया है कि इसमें और कोई दस्तावेज या अन्य प्रमाण नही सौंपे जायेंगे। जो कुछ इलाहबाद उच्च न्यायालय के सामने आ चुका है उसी पर विचार किया जायेगा। इस तरह यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित चल रहा है। 21 मार्च 2017 तत्कालीन प्रधान न्यायधीश जे एस खेहर की पीठ ने इसे संवदेनशील और जन भावनाओं से जुड़ा मामला माना था और सभी पक्षकारों को सलाह दी थी कि ऐसे संवदेनशील मुद्दों का सबसे अच्छा हल आपसी बातचीत से ही निकाला जा सकता है। लेकिन इस सुझाव पर कोई अमल नही हो पाया। खेहर के बाद दीपक मिश्रा मुख्य न्यायधीश बने उन्होंने कहा था कि वह जनभावनाओं या आस्था के आधार पर फैसला नही कर सकते और किस मामले की सुनवाई कब की जानी चाहिए इसका फैसला न्यायालय अपने विवेक से तय करता है। यदि उसे लगता है कि मामला त्वरित सुनवाई योग्य है तो उस पर तुरन्त पीठ गठित करके सुनवाई शुरू कर देता है। लेकिन इस अयोध्या मामले को सर्वोच्च न्यायालय ने त्वरित सुनवाई के योग्य न तब माना था और न ही अब माना है। अब मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की पीठ ने इस पर जनवरी 2019 तक के लिये सुनवाई टाल दी है। जनवरी में इसकी सुनवाई के लिये पीठ गठित की जायेगी और फिर यह करनी है।

सर्वोच्च न्यायालय के इस रूख पर कुछ हिन्दु संगठनों की तीव्र प्रतिक्रियाएं आयी हैं। इससे जुड़ा साधु समाज पूरी तरह आक्रोशित है। सरकार को अल्टीमेटम तक दे दिये गये हैं। यह मांग की जा रही है कि सरकार इस पर एक अध्यादेश लाकर इस जमीन का अधिग्रहण करके मन्दिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करे। भाजपा के योगी आदित्यनाथ जैसे नेता भी करके तुरन्त मन्दिर निर्माण शुरू करने की बात कर रहे हैं। इस समय पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इन चुनावों के बाद मई 2019 में लोकसभा चुनाव आने हैं। राम मन्दिर निर्माण को लेकर भाजपा पर यह सवाल दागा जा रहा है कि मन्दिर का निर्माण कब होगा ''मन्दिर वहीं बनायेंगे लेकिन तारीख नही बतायेंगे'' यह व्यंग्य सुनने को मिल रहा है। यह सवाल अबतक अलग शक्ल लेता जा रहा है कि भाजपा/संघ को राम मन्दिर के बनने में उतनी रूची नही है जितनी आवश्यकता मन्दिर मुद्दे को बनाये रखने की है। मन्दिर बन जाने के बाद मुद्दा समाप्त हो जायेगा और इसका लगातार चुनावी लाभ ले पाना संभव नही रह जायेगा। यदि भाजपा/संघ सही मन्दिर निर्माण के प्रति गंभीर होते तो मोदी सरकार जब केन्द्र में सत्ता में आयी थी तभी से इस दिशा में तुरन्त कदम उठाये होते तो शायद सरकार के कार्यकाल के शुरू के ही दो तीन वर्षो में मन्दिर बन भी चुका होता। लेकिन सरकार ने न तो अदालत में इस मामले की शीघ्र सुनवाई किये जाने के कोई प्रयास किये और न ही जब जमीन अधिग्रहण करने का प्रयास किया गया। भाजपा/संघ ने जब राहूल गांधी के मन्दिरों में जाने, उसके हिन्दु होने और मानसरोवर यात्रा आदि पर सवाल उठाये थे तब से यह धारणा पुख्ता हो गयी है कि इन्हे मन्दिर /मस्जिद, हिन्दु/मुस्लिम केवल चुनावी मुद्दों के लिये चाहिये। आज जिन पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं वहां भाजपा ने कितने मुस्लमानों को चुनाव में उम्मीदवार बनाया है? शायद किसी को नही। इसी से मोहन भागवत के उस ब्यान की सच्चाई पर खीज सकती है कि मुस्लिमों के बिना देश संभव ही नही है। धारा 370 से लेकर युनिफाईड सिविल कोड जैसे जितने मुद्दों पर 2014 के चुनावों तक बाते की जाती थी उन पर सत्ता में आने के बाद क्या कदम उठाये गये। जिस आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय ने दो टूक स्पष्ट फैसला दे दिया था उसे संसद में लाकर पलट दिया गया क्योंकि संसद में आपका प्रचण्ड बहुमत था। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि आरक्षण पर यह किया जा सकता था तो इसी प्रचण्ड बहुमत का सहारा लेकर मन्दिर से धारा 370 तक के मुद्दों को क्यों नही सुलझा लिया गया? जवाब सीधा है कि यदि यह सब सुलझ गया होता तो आज देश बेरोजगारी, मंहगाई और भ्रष्टाचार जैसे सवालों पर सरकार को घेर लेती। लेकिन आज मन्दिर, हिन्दु-मुस्लिम के फर्जी मुद्दो के सहारे राफेल और नोटबंदी जैसे गंभीर मुद्दों से बचने का जो प्रयास किया जा रहा है वह शायद संभव नही होता।

इस परिदृश्य में यह बहुत सही है कि अयोध्या मुद्दे का हल अस्था और जन भावनाओं के आधार पर नही करने की जो बात सर्वोच्च न्यायालय ने की है उसका स्वागत किया जाना चहिये। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समाने जो विवाद खड़ा हुआ था यह शुद्ध रूप से ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसे उसी रूप में सुनने की बात की है यह एक सकारात्मक सोच है। मालिकाना हक का फैसला दस्तावेजों के आधार पर हो जायेगा और उसे उसी रूप में स्वीकार भी किया जाना चहिये। इसमें सर्वोच्च न्यायालय से यह आग्रह रहना चाहिये कि इस मामले में लोकसभा चुनावों से पहले कोई सुनवाई न की जाये और चुनावों के बाद इसे त्वरित आधार पर निपटा दिया जाये ताकि यह फिर किसी चुनाव का मुद्दा न बन पाये। क्योंकि यह विवाद अबतक कई सरकारों और लोगों की बलि ले चुका है और इसमें आगे ऐसा न हो इससे बचने का प्रयास किया जाना आवश्यक है। चुनाव देश के भाग्य का फैसला करता है। देश आगे भविष्य में किस ओर जाने वाला है इसका निर्धारण चुनाव करता है। इसलिये देश का भविष्य भावनात्मक मुद्दों पर नहीं वरन् गंभीर मुद्दों पर तय किया जाना चाहिये।

# क्या इस कीमत पर विकास सोचा था आपने?

अब तक तो हमने प्रकृति का केवल दोहन किया है। अब समर्पण करना होगा। जितने जंगल कटे हैं उससे अधिक बनाने होंगे, जितने पेड़ काटे उससे अधिक लगाने होंगे, जितना प्रकृति से लिया, उससे अधिक लौटना होगा। प्रकृति तो माँ है, जीवनदायिनी है, दोनों हाथों से अपना प्यार लुटाएगी। इस धरती को हम जरा सा हरा भरा करेंगे, तो वो इस वातावरण को एक बार फिर से ताजगी के एहसास के साथ सांस लेने लायक बना देगी। ''डॉ नीलम महेंद्र''

आज जब दिल्ली की हवा में प्रदूषण के स्तर ने विश्व के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए तो इस बात को समझ लेने का समय आ गया है कि यह आज एक समस्या भर नहीं रह गई है। आज जब एयर प्यूरीफायर की मार्किट लगातार बढ़ती जा रही है तो यह संकेत है कि प्रदूषण किस कदर मानव जीवन के लिए ही एक चुनौती बन कर खड़ा है, खास तौर पर भारत में। आगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है तो आपके लिए डब्लूएचओ की रिपोर्ट के कुछ अंश जान लेने आवश्यक हैं। इस रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि वायु प्रदूषण की वजह से सम्पूर्ण विश्व में हर साल लगभग 70 लाख लोगों की मौत हो जाती है। विश्व की आबादी का 91% हिस्सा आज उस वायुमंडल में रहने के लिए विवश है जहाँ की वायु की गुणवत्ता डब्लूएचओ के मानकों के अनुसार बेहद निम्न स्तर की है। भारत में स्थिती की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2016 में हमारे देश में एक लाख दस हजार बच्चे वायु में मौजूद प्रदूषण के बेहद बारीक कण पीएम के कारण अकाल काल के ग्रास बन गए। लेकिन इससे अधिक विचारणीय विषय यह है कि जहाँ कुछ समय पहले तक चीन की राजधानी बीजिंग विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में अव्वल थी अब इस सूची से गायब है। अब भारत के एक नहीं बल्कि 14 शहरों ने इसकी जगह ले ली है। और जिस दिल्ली के प्रदूषण ने सर्दियों की दस्तक से पहले ही देश के अखबारों की सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं वो विश्व स्वस्थ संगठन की इस सूची में छठे नंबर पर है। डब्लूएचओ की विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की इस सूची में कुछ शहर क्रमानुसार इस प्रकार हैं, कानपुर फरीदाबाद, वाराणसी, गया, पटना दिल्ली, लखनऊ।

यह सूची जहाँ एक तरफ हमें चिंतित करती है वहीं एक उम्मीद की किरण भी दिखती है। चिंता की बात यह है कि भारत के लगभग 14 शहर विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में अव्वल हैं। और उम्मीद का विषय यह है कि अगर चीन कुछ ही वर्षो में बीजिंग के माथे से प्रदूषण का दाग हटा सकता है तो यह काम हमारे लिए भी असंभव नहीं है। जरूरत है कुछ ठोस नीतियों और दृढ़ इच्छाशक्ति की।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारी सरकारें एक दूसरे पर दोषारोपण करने के बजाए देश हित में ठोस कदम उठाऐं। लेकिन अफसोस की बात है कि इस गंभीर विषय को भी इतने सालों में सरकार केवल कुछ तात्कालिक उपायों के सहारे ही हल करना चाहती है। दिल्ली सरकार तो प्रदूषण का सारा दोष पराली जलाने वाले किसानों को देकर ही इतिश्री कर लेती है। यह वाकई में हास्यास्पद है कि दिल्ली में पंजाब और हरियाणा से ज्यादा प्रदूषण है जबकि वहाँ जहाँ पराली जलाई जाती है यानी पंजाब और हरियाणा, वहां दिल्ली के मुकाबले हवा साफ है। कहने का मतलब यह नहीं है कि पराली जलाने से प्रदूषण नहीं होता बल्कि यह है कि पराली जलाना ही प्रदूषण का 'एकमात्र कारण' नहीं है। दरअसल अगर हमारी सरकारें वाकई मे प्रदूषण से लड़ना चाहती है तो उन्हें इस समस्या के प्रति एक परिपक्व और ईमानदार नज़रिया अपनाना होगा। समस्या की जड़ को समझ कर उस पर प्रहार करना होगा, एक नहीं अनेक उपाय करने होंगे, लोगों के सामने हल रखने होंगे, उन्हें विकल्प देने होंगे न कि तुगलकी फरमान। तात्कालिक उपायों के साथ साथ दीर्घकालिक लेकिन ठोस उपायों पर जोर देना होगा। जैसे-

❖ पराली के धुएं से हवा दूषित होती है तो सरकार को यह बात समझनी चाहिए कि एक गरीब किसान जो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं होता उससे यह अपेक्षा करना कि वो प्रदूषण के प्रति जागरूक हो जाए और पराली जलाने पर उससे जुर्माना वसूला जाए, ऐसी सोच ही बचकानी है। इसकी बजाय सरकार किसानों को विकल्प सुझाए। उन्हें पराली से छुटकारा पाने के जलाने से बेहतर तरीके बताएं। जैसे उसे जैविक खाद में परिवर्तित करने के तरीके बताएं। अगर किसानों के पास जगह और समय की समस्या हो,तो सरकार किसानों से पराली खरीद कर जैविक खाद बनाने का संयत्रों को प्रोत्साहित कर सकती है। इस प्रकार जब किसान पराली से कमाएंगे तो जलाएंगे क्यों?

❖ इसी प्रकार देश की सड़कों पर हर साल वाहनों की बढ़ती संख्या भी प्रदूषण के बढ़ते स्तर के लिए जिम्मेदार है। परिवहन विभाग के नवीनतम डाटा के अनुसार राजधानी दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या एक करोड़ 5 लाख 67 हजार 712 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक राजधानी की सड़कों पर हर साल 4 लाख से अधिक नई कारें आ जाती हैं। प्रदूषण में इनका योगदान भी कम नहीं होता। इसके लिए सरकार तत्कालिक उपायों के अलावा दीर्घकालिक उपायों पर भी जोर दे। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की संख्या, सुविधाजनक उपलब्धता और उसकी गुणवत्ता में सुधार करे ताकि लोग उनका अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित हों।

❖ इसके अलावा बैटरी अथवा बिजली से चलने वाले वाहनों के अनुसंधान और निर्माण की दिशा में शीघ्रता से ठोस कदम उठाए और धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के निर्माण को बंद करने के लिए कढ़े कदम उठाए।

❖ इसी प्रकार पराली और वाहनों से निकलने वाले धुंए से भी खतरनाक होता है उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषण। क्योंकि इनमें ईंधन के रूप में पेट कोक इस्तेमाल होता है जिससे डीजल के मुकाबले 65000 गुना अधिक प्रदूषण होता है इसलिए इसे दुनिया का डर्टी फ्यूल यानी सबसे गंदा ईंधन भी कहा जाता है और अमरीका से लेकर चीन तक में प्रतिबंधित है। लेकिन भारत में यह अगस्त 2018 तक ना सिर्फ विश्व के लगभग 45 देशों से आयात होता था, बल्कि इसे टैक्स में छूट के अलावा जीएसटी में रिफंड भी हासिल था। लेकिन अब सरकार जाग गई है और भारत के उद्योगों में ईंधन के रूप में इसके उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब यह आवश्यक है कि इस आदेश का पालन कढ़ाई से हो और उद्योगों में इसका उपयोग पूर्ण रूप से बंद हो।

❖ अब शायद हम यह समझ चुके हैं कि मानव ने विकास की राह में विज्ञान के सहारे जो तरक्की हासिल की है और प्रकृति की अनदेखी की है, उसकी कीमत वो अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य से चुका रहा है। इसलिए अब अगर वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक खूबसूरत दुनिया और बेहतर जीवन देना चाहता है तो अब उसे उस प्रकृति की ओर ध्यान देना होगा। अब तक तो हमने प्रकृति का केवल दोहन किया है। अब समर्पण करना होगा। जितने जंगल कटे हैं उससे अधिक बनाने होंगे, जितने पेड़ काटे उससे अधिक लगाने होंगे, जितना प्रकृति से लिया, उससे अधिक लौटना होगा। प्रकृति तो माँ है, जीवनदायिनी है, दोनों हाथों से अपना प्यार लुटाएगी। इस धरती को हम जरा सा हरा भरा करेंगे, तो वो इस वातावरण को एक बार फिर से ताजगी के एहसास के साथ सांस लेने लायक बना देगी।

# मीडिया के अक्स तले लोकतंत्र के दो चेहरे

**पुण्य प्रसून वाजपेयी**

मौजूदा वक्त में जिन हालातों से भारतीय मीडिया दो चार हो रहा है या फिर पत्रकारों के सामने जो संकट है उस परिपेक्ष्य में अमेरिकी मीडिया का ट्रंप की सत्ता से टकराना दुनिया के दो लोकतांत्रिक देशों की दो कहानियां ही सामने लाता है और दोनो ही दिलचस्प है। क्योंकि दुनिया के सबसे पुराने लोकतांभित देश अमेरिका के राष्ट्रपति मीडिया के सामने खुले तौर पर आने से कतराते नहीं है, पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के प्रधानमंत्री मीडिया के सामने सवालों के जवाब देने से घबराते हैं। तो अपनी पंसद के पत्रकार या मीडिया हाउस को अपनी चौखट पर बुलाकर किस्सागोई करते है और इंटरव्यू के तौर पर देश उसे सुनता है, पढ़ता है। अमेरिका का मीडिया हाउस राजनीतिक सत्ता के प्रचार प्रसार का हिस्सा नहीं बनता। लेकिन भारत का मीडिया सत्ता के प्रचार प्रसार को ही खबर बना देता है। अमेरिकी मीडिया लोकतंत्र की उस साख को सत्ता से ज्यादा महत्व देता है जो हक उसे संविधान से मिले है। भारत का मीडिया संवैधानिक संस्थाओ को सत्ता की अंगुलियो पर नाचते देख ताली बजाने से नहीं चुकता। तो लोकतंत्र की दो परिभाषाओं के अक्स तले भारतीय मीडिया के रेंगने की कहानी भी है और अमेरिकी मीडिया की सत्ता से टकराने की दास्ता भी है।

दरअसल भारतीय लोकतांत्रिक माहौल में हर कोई इसे अजूबा मान रहा है कि आखिर सीएनएन ने अमेरिका के राष्ट्रपति और व्हाइट हाउस प्रशासन के खिलाफ ये केस दर्ज कैसे कर दिया कि सीएनएन के पत्रकार जिम एगोस्टा के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो क्या वाकई किसी पत्रकार के संवैधानिक अधिकार भी होते हैं, और क्या वाकई अगर भारत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसी पत्रकार के सवाल से उलझ जायें या गुस्से में आ जायें और पीएमओ उसके एक्रिडियशन को ही कैसंल कर दें तो उसका मीडिया हाउस ये सवाल उठा दे कि ये तो प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है, या फिर पत्रकार के संवैधानिक अधिकारों का ही हनन है, ये वाकई कल्पना के परे है कि भारत में ऐसा हो सकता है। लेकिन अमेरिका में तो बकायदा न्यूज़ नेटवर्क ने मुकदमें की घोषणा करते हुए कहा, 'प्रेस डॉक्यूमेंट्स को गलत तरीके से निरस्त करना प्रेस की स्वतंत्रता के सीएनएन और एकोस्टा के प्रथम संशोधन अधिकार और नियत प्रक्रिया के पांचवें संशोधन अधिकार का उल्लंघन है.' जाहिर है ये सवाल भारत में प्रेस कांउसिल या एडिटर गिल्ड आफ इंडिया या नेशनल ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया से भी पूछा जा सकता है कि भारत में ये क्यो संभव नहीं है। पर भारत के हालात बताते हैं कि पूछना तो दूर सत्ता के फैसले को संवैधानिक दायरे में मीडिया ही सही ठहराने में इस तरह लग सकता है कि जिससे खबर यही बने कि जनता द्वारा चुनी हुई राजनीतिक सत्ता से कोई पत्रकार या मीडिया हाउस कैसे सवाल कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी न्यूज़ नेटवर्क का तो कहना है, 'हमने अदालत के आदेश पर तत्काल रोक लगाने और पत्रकार जिम का पास लौटाने का आग्रह किया है और हम इस प्रक्रिया के तहत स्थाई राहत मागेंगे।' न्यूज़ नेटवर्क ने यह भी कहा, 'अगर चुनौती नहीं दी जाती तो व्हाइट हाउस की कारवाई से निर्वाचित अधिकारियों की कवरेज करने वाले किसी पत्रकार के लिए घातक प्रभाव दिखाई देते।' तो लोकतंत्र का तकाजा है कि लोकतंत्र संविधान पर टिका है, और संविधान से मिले अधिकारों का हक चुनी हुई सत्ता को भी नहीं है। इसलिये सिर्फ सीएनएन ही नहीं बल्कि व्हाइट हाउस कॉरेस्पान्डेंट एसोसिएशन ने भी सीएनएन के मुकदमें का स्वागत किया और कहा कि व्हाइट हाउस परिसर तक पहुंच को रोकना घटनाओं पर अनुचित फीडबैक के बराबर है, और जो भी संवाददाता व्हाइट हाउस को कवर करते हैं उनके एसोशिएशनज़ ने साफ कहा, 'हम प्रशासन से फैसला पलटने और सीएनएन के पत्रकार की पूर्ण बहाली का लगातार आग्रह करते हैं,' पर ये भारत में क्यो संभव नहीं है ये सवाल तो है ही। क्योंकि भारत में ना तो आपातकाल लगा है जहां संविधान से मिलने वाले अधिकार सस्पेंड कर दिये गये हों, और ना ही संवैधानिक अधिकारों के हनन पर सुप्रीम कोर्ट या कोई संवैधानिक संस्था सवाल उठा सकती है। अमेरिका की तर्ज पर लोकतंत्र का मिजाज वही है। संविधान से मिलने वाले नागरिक अधिकार वही है। और प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़े सवाल भी वही है। लेकिन भारत में फिर ऐसा क्या है कि राजनीतिक सत्ता की मुठ्ठी में संविधान कैद हो गया है।

किसी भी संवैधानिक संस्था की स्वतंत्रता को लेकर हर मोड पर सवाल है। क्योंकि ऐसा कोई कार्य या ऐसा कोई फैसला आता ही नहीं या होता ही नहीं जो सत्तानुकुल ना हो। सीएजी को दर्जन भर नौकरशाह पत्र लिख पूछते हैं, राफेल की किमत को लेकर उसका अध्ययन क्या कहता है, बताया क्यों नहीं जा रहा है? सीबीआई, सीवीसी, ईडी ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक के निर्देश सत्तानुकुल लगते हैं यह सत्तानुकुल नहीं होते तो संस्था के मुखिया पर सत्ता की गाज गिरती है या सत्ता ही खुद को उस संस्था का सर्वोसर्वा मान लेती है फिर बना लेती है। और इस कडी में मीडिया तो लोकतंत्र का चौथा खम्भा होता है, तो पहले तीन खम्भे ही जब सत्ता संभालने का काम करने लगे तो चौथे खम्भे की क्या हैसियत हो जाती है या क्या साख बना दी गई है ये कई उदाहरणों से समझा जा सकता है। मसलन भारत में न्यूज चैनलों का रुतबा खासा बढ़ा है। उसका असर, उसका विस्तार, उसकी पहुंच, और उसके संवाद बनाने की क्षमता ने राजनीतिक सत्ता को साफ तौर पर समझा दिया है कि चैनल मीडिया पर नकेल कसने से सत्तानुकुल राजनीतिक नैरेटिव बनाया जा सकता है, और इस राजनीतिक नैरेटिव को न्यूज चैनलों को चलाने वाले मीडिया हाउस मान चुके हैं कि वह लोकतंत्र के चौथे खम्भे नहीं बल्कि एक बिजनेस कर रहे हैं जिसका लक्ष्य मुनाफा बनाना है। और मुनाफे के मीडिया बिजनेस को मुनाफा देने की स्थिति में सत्ता से बेहतर और कौन हो सकता है। तो लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकारों के हनन का सवाल किस मीडिया हाउस को दिखायी देगा या फिर दिखायी देगा तो भी वह उस अधिकार को मुनाफे में क्यो नहीं बदलेगा। यानी संवैधानिक हनन की खबरों की एवज से सत्ता से मुनाफा लेकर या तो खामोश हो जायेगा या फिर संवैधानिक हनन को ही गलत ठहरा देगा।

फिर भारत में तो संविधान से मिलने वाले अधिकारों के हनन की लकीर इतनी मोटी है कि कोई भी मीडिया हाउस कहीं से भी आवाज उठा सकता है और सत्ता से ये सवाल कर सकता है कि आखिर उसका काम क्या है अगर वह संविधान से मिले जीने के अधिकार, शिक्षा के अधिकार, हेल्थ सर्विस के अधिकार ही नहीं बल्कि साफ पानी पीने तक के हालात बना नहीं पायी, यानी सत्ता की नीतियों के झूठ फरेब के जाल को भेदने की आवश्यकता नहीं है बल्कि न्यूनतम की लडाई में फसे देश में कैसे सत्ता तीन हजार करोड़ की सरदार पटेल की प्रतिमा बना सकती है, जबकि वह धन के टैक्स पेयर का है। जाहिर है मीडिया इन सवालों को क्यों उठाये ये संपादकीय सोच हो सकती है। लेकिन खुले तौर पर जो मीडिया हाउस सत्ता के साथ है उसका मुनाफा बढ़े। खुले तौर पर जो सत्ता को लेकर जरा भी आलोचनात्मक हो या कहे सत्ता की नीतियो का रियल चैक ही करने की हिम्मत दिखाये उस मीडिया हाउस से धमकी या मुनाफे के नाम पर सौदेबाजी करने का खुला खेल ही जब होने लगे तो क्या किसी पत्रकार के अधिकारों की बात वाकई कोई करेगा। या फिर मीडिया हाउस के दफ्तरों में या संपादको के घर पर छापे मारने की प्रक्रिया इस रुप में अपनायी जाये कि सत्ता के साथ खडे मीडिया हाउस में छापा मारा गया ये तो जोर शोर से बताये और छापा बिना किसी आधार के या छापा मारने पर भी कुछ नहीं निकला इसे बताने के बदले खामोशी बरत लें। तो क्या ये कहा जा सकता है कि लोकतंत्र को हड़प कर सत्ता ने देश को ही लोकतंत्र के नाम पर मनमानी करने का अधिकार पा लिया है।

यानी अमेरिकी लोकतंत्र और भारतीय लोकतंत्र को एक तराजू पर तौला नहीं जा सकता। क्योकि अमेरिका में खुद को फोर्थ स्टेट बताते हुये मीडिया संवैधानिक हक के लिये संघर्ष करने को तैयार है लेकिन भारत में लोकतंत्र को सत्ता की मनमर्जी पर मीडिया मुनाफे के लिये संवैधानिक हक को भूलने के लिये तैयार है। और दुनिया के सबसे रईस देश अमेरिका का सच ये भी है कि मीडिया वहा पूंजी या मुनाफे पर नहीं टिका है लेकिन भारत में पूंजी और मुनाफा दोनों सत्ता ही उपलब्ध कराती है तो मीडिया बिनजेस मॉडल में तब्दिल हो चुका है। इसीलिये न्यूज चैनलों के लिये टीआरपी से विज्ञापनो की कुल कमाई दो हजार करोड की है। लेकिन राजनीतिक प्रचार प्रसार से कुल कमाई बीस से तीस हजार करोड़ से ज्यादा की है। और संयोग देखिये दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश में सीएनएन का संवाददाता अमेरिका की तरफ बढ़ते प्रवासियों के कारंवा पर अमेरिका राष्ट्रपति की राय जानने के लिये सवाल करता है और भारत में असम के लाखों लोगो को एक रात में प्रवासी बना दिया जाता है और प्रधानमंत्री मोदी से कोई सवाल तक नहीं करता।

# विधि चन्द ने स्वरोजगार से दिखाई आर्थिक स्वावलंबन की राह

**पालमपुर तहसील में स्थित है देहरियां गांव। इन दिनों इस गांव में लोगों को अपने आत्मविश्वास के बूते आत्मनिर्भरता की राह दिखाने वाले एक बुजुर्ग पुरूष विधि चन्द की खूब बात हो रही है। विधि चन्द ने जिदंगी की तमाम बाधाओं को पार करते हुए अपने घर की आर्थिक स्थिति को बदल डाला है और एक नई सामाजिक पहचान बनाई है।**

छोटे से घर में एक बड़ा परिवार, चारों तरफ निर्धनता, कुछ ऐसी ही कहानी है विधि चन्द की। विधि चन्द गरीबी और विवशता से हताश होकर वह एक बेहतर जीवन जीने की सभी आशाएं खो चुके थे। इधर-उधर छोटे कार्य करके तथा मनरेगा में मजदूरी करके वह अपना व परिवार का खर्चा चलाते थे परन्तु वह इतना नहीं कमा पाते थे कि सही ढ़ग से अपने परिवार का खर्चा चला सकें। इसके अलावा दूसरा कोई आजीविका का साधन नहीं था। ऐसे में विधि चन्द को पंजाब नैशनल बैंक के धर्मशाला स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा देहरियां में लगाए गये जागरूकता शिविर में संस्थान द्वारा चलाए जा रहे इच्छुक लोगों को उन्नत कृषि बारे प्रशिक्षण देने का पता चला। उन्हें आशा की किरण नजर आई और उन्होंने तुरन्त संस्थान से सम्पर्क किया। पता चला संस्थान ये प्रशिक्षण निःशुल्क करवाता है, भोजन और रहने का खर्चा भी वे ही करते हैं। फिर क्या था, उन्होंने सब्जी नर्सरी प्रबन्धन एवं सब्जी उत्पादन के छः दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में दाखिला ले लिया।

विधि चन्द बताते हैं कि उनके लिए यह प्रशिक्षण बहुत उपयोगी साबित हुआ। इस दौरान उन्होंने खेतीबाड़ी की उन्नत तकनीकों तथा व्यवसाय चलाने के साथ-साथ नकदी फसलों की खेती करने की विधि के बारे में भी पूरी जानकारी ली।

विधि चन्द बताते कि उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत अपने 2 बेटों के साथ लगभग 50 हजार रूपये की पूंजी लगाकर सब्जियों का

उत्पादन शुरू किया। मेहनत और प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान के बूते देखते ही देखते दिन बदलने लगे। सब्जियां बेचने के लिए उन्होंने अपना एक थ्री व्हीलर तथा एक वैन ले ली है। जिसमें वे सब्जियों को आसपास के गांवों तथा सब्जी मंडी में बेचते हैं और हर महीने लगभग 15 से 20 हजार रूपये कमा रहे हैं और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। उनका सारा परिवार उनके साथ सब्जी उत्पादन का कार्य कर रहा है।

पंजाब नैशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक कमल प्रकाश बताते हैं कि संस्थान जरूरतमंद एवं इच्छुक लोगों को स्वरोजगार आरम्भ करने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण देता है, ताकि वे आर्थिक रूप से सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर हो सकें। वे बताते हैं कि संस्थान 18 से 45 वर्ष तक की महिलाओं और पुरूषों को डेयरी फार्मिंग, खुम्ब उत्पादन, सब्जी नर्सरी प्रबंधन और सब्जियों की खेती, आलू एवं प्याज की खेती और प्राकृतिक संरक्षण, अचार और पापड़ बनाना, खिलौने बनाना, डुने पत्तल बनाना, कपड़े के बैग बनाना तथा मोबाईल रिपेयरिंग जैसे विभिन्न रोजगारपरक व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं, जिसके द्वारा वे स्वरोजगार हेतु जिला कांगड़ा के किसी भी बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जिलाधीश कांगड़ा संदीप कुमार का कहना है कि सभी जिलावासियों विशेषकर युवाओं एवं महिलाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर बल दिया जा रहा है, ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। प्रशासन के इन प्रयासों में पंजाब नैशनल बैंक के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण जैसे संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जो बेहद सराहनीय है। इस प्रकार के प्रशिक्षणों से लोग क्षेत्र विशेष के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर एवं कौशल विकास से स्वरोजगार अपनाकर स्वावलंबन की राह पर आगे बढ़े हैं। उनका कहना है कि जिला प्रशासन लोगों को स्वरोजगार आरम्भ करने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।

# नशा निवारण अभियान की सफलता के लिये जिद के साथ काम करने की ज़रूरत: मुख्यमन्त्री

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रैस क्लब शिमला द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ऐतिहासिक रिज मैदान शिमला से स्कूली बच्चों की एक नशा निवारण रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए मुख्यमंत्री ने नशा निवारण में बच्चों के योगदान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे नशा निवारण अभियान को नई ताकत दे सकते हैं क्योंकि ऐसे अभियानों में उनका रोल हमेशा अहम् रहता है। जय राम ठाकुर ने कहा कि बच्चे न कहें, तो नशे पर नकेल कसी जा सकती है। बच्चों को सामाजिक दायित्व का पाठ सिर्फ क्लास रूम में ही नहीं पढ़ाया जा सकता है, बल्कि ऐसे आयोजनों में शामिल होकर वह समाज के बीच संदेश वाहक का काम करते हैं। इस अभियान की सफलता के लिए जिद्द के साथ काम करने की आवश्यकता है और कामयाबी तभी संभव है जब इसमें समाज के हर वर्ग की सहभागिता हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा आज हिमाचल प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश और समस्त विश्व के सामने चिंता का विषय बन गया है। सरकार अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। नशा तस्करी को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं, अगर जरूरत महसूस हुई तो कानून को और कड़ा किया जाएगा। लेकिन सिर्फ कानून बनाने से ही समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। सबसे पहले लोगों को इस सामाजिक बुराई के प्रति सचेत करने के लिए जागरूक करना बेहद आवश्यक है। सरकार की नीतियों के सकारात्मक परिणाम तब तक सामने नहीं आ सकते, जब तक लोग उन्हें स्वीकार न करें। जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार परिणामों की परवाह किए बगैर सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रही है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि सामाजिक दायित्वों का बोध बचपन से ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों में हर सामाजिक बुराई से लड़ने की क्षमता है। नशा नई पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। उन्होंने समाज के प्रत्येक व्यक्ति से अपील की कि सामाजिक बुराईयों से लड़ने में अपने दायित्व का निर्वहन इस प्रकार से करें कि परिणाम सामने आएं। उन्होंने कहा कि सरकार का कोई भी अभियान लोगों की सक्रिय सहभागिता के बगैर पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने बच्चों से नशे जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए आगे आने का आह्वान करते हुए कहा कि स्वयं भी नशे से दूर रहे और सेवन करने वाले अपने सगे-संबन्धियों व दोस्तों को भी रोकने के लिए प्रेरित करें।

मुख्यमंत्री ने सामाजिक क्षेत्र में प्रैस क्लब के कार्यक्रमों की सराहना की और कहा कि प्रैस क्लब समय-समय पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करता है जिनका सामाजिक सरोकार है। नशा निवारण, स्वच्छता, रक्तदान शिविर व खेल कूद जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारा नैतिक दायित्व बन जाता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए खतरे को रोकने में हम अपना योगदान दें। स्वच्छता अभियान में भी प्रैस क्लब ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है, जो आने वाले समय में भी जारी रहेगा।

इससे पहले प्रैस क्लब शिमला के महासचिव अनिल भारद्वाज ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर समेत अन्य गणमान्य व्यक्तियों का कार्यक्रम में आने पर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रैस क्लब कई जागरूकता अभियानों से जुड़ा रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा।

# नशा युवा पीढ़ी को भटकाने का सबसे बड़ा कारण: डॉ. सैजल

**शिमला/शैल।** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि बाल दिवस के अवसर पर हम सभी को देश एवं प्रदेश को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने एवं नशामुक्त करने का संकल्प लेना होगा। डॉ. सैजल सोलन जिला के कसौली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुल्हाड़ी में ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित बाल दिवस समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे।

डॉ. सैजल ने इस अवसर पर कहा कि बच्चों को संस्कार प्रदान करना, घर तथा विद्यालय में नैतिक शिक्षा उपलब्ध करवाना तथा रीति-रिवाज़ों एवं लोकाचार की जानकारी देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह सभी जानकारियां मिलकर बच्चों को उत्तरदायी एवं जागरूक युवा बनाती हैं। उन्होंने कहा कि जागरूक युवा देश तथा प्रदेश के विकास में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। उन्होंने अध्यापकों तथा अभिभावकों से आग्रह किया कि वे युवा पीढ़ी को उचित मार्गदर्शन प्रदान करें ताकि युवा सही दिशा में अग्रसर हो सकें।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को नशे से बचाना सभी का नैतिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि नशा वर्तमान में युवा पीढ़ी को भटकाने का सबसे बड़ा कारण बनकर उभर रहा है। यदि समय रहते नशे की बुराई पर काबू न पाया गया तो इसके भयावह परिणाम भुगतने को सभी को तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि इस दिशा में अभिभावकों एवं अध्यापकों के स्तर पर जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने बच्चों से आग्रह किया कि वे नशे से दूर रहें और यह स्मरण रखें कि नशा केवल नाश करता है।

डॉ. सैजल ने इस अवसर पर कहा कि यह पहली बार हुआ है कि प्रदेश सरकार ने अपने अल्प कार्यकाल में ही समग्र विकास के लिए केन्द्र से 9000 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाएं स्वीकृत करवाई हैं। प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा पैंशन की आयु को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष कर लाखों वरिष्ठ नागरिकों को लाभान्वित किया है। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना से आने वाले दो वर्षों में राज्य के सभी परिवारों के पास गैस कुनैक्शन उपलब्ध होंगे। कसौली विधानसभा क्षेत्र में भी इस योजना के तहत अब तक 500 से अधिक पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस कुनैक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।

ग्राम पंचायत गुल्हाड़ी के पधान तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सदस्य मदन मोहन मेहता ने मुख्यातिथि का स्वागत किया। उन्होंने निचली शांगुली से देवथल तक रास्ता निर्मित करने के लिए 2 लाख रुपये, थड़े का ठाकुर द्वारा से वाया टियूरी गाहर तक सड़क निर्माण के लिए 2 लाख रुपये, ग्राम पंचायत गुल्हाड़ी में सभा हॉल के निर्माण के लिए 10 लाख रुपये, स्थानीय जिम में आवश्यक सामान की खरीद के लिए एक लाख रुपये तथा एक अन्य संपर्क मार्ग के निर्माण के लिए 5 लाख रुपये प्रदान करने की मांग की।

# हिमाचल में अभी भी 40 से 50 कि.मी. के दायरे में नहीं हैं पैट्रोल पंप:महेंद्र सिंह

**शिमला/शैल।** सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य, सैनिक कल्याण तथा बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) से आग्रह किया है कि वे हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत ऐसे स्थानों पर पैट्रोल पंप सुविधा उपलब्ध करवाएं जहां वर्तमान में पैट्रोल पंप नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे पैट्रोल पंपों की स्थापना के लिए भूमि प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित की जाएगी। महेंद्र सिंह ठाकुर सोलन जिला के नालागढ़ में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित पेट्रोल पंप का लोकार्पण करने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इस पेट्रोल पंप की स्थापना में हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने सहयोग प्रदान किया है।

महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण प्रदेश में वर्तमान में भी अनेक ऐसे स्थान हैं जहां 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में पैट्रोल पंप की सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थानों पर पैट्रोल पंप स्थापित करने से जहां लोगों को सुविधा प्राप्त होगी वहीं आईओसी एवं प्रदेश सरकार को भी लाभ होगा। उन्होंने ओईओसी के अधिकारियों से आग्रह किया कि वे विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदेश सरकार के साथ साझा करें ताकि राज्य भी इनसे लाभान्वित हो सके।

बागवानी मंत्री ने कहा कि नालागढ़ में हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के पास समुचित भूमि उपलब्ध है। उन्होंने आईओसी से आग्रह किया कि पैट्रोल पंप की स्थापना के साथ-साथ इस भूमि का लाभदायक उपयोग सुनिश्चित बनाया जाए।

महेंद्र सिंह ठाकुर ने आईओसी से आग्रह किया कि ऊना में उनके द्वारा स्थापित किए जा रहे बॉटलिंग संयंत्र में हिमाचली युवाओं को बेहतर रोजगार उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि आईओसी को अपनी गुणवत्तायुक्त सेवाओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने आशा जताई कि आईओसी नालागढ़ सहित प्रदेश में अपनी बेहतर सेवाओं को श्रेष्ठ बनाएगा।

सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन आईओसी के साथ मिलकर अनेक कार्य करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में आईओसी द्वारा प्रदेश में पाईपलाइन के माध्यम से गैस सुविधा उपलब्ध करवाने की योजना है तो इस दिशा में एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन सहायक सिद्ध हो सकता है। उन्होंने पाइप लाईन के माध्यम से गैस उपलब्ध करवाने का कार्य एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन को सौंपने की संभावनाएं तलाशने पर बल दिया।

हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक प्रताप सिंह चौहान ने मुख्यातिथि का स्वागत किया तथा कॉरपोरेशन की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नालागढ़ स्थित आईओसी के पैट्रोल पंप पर विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

# पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी

**शिमला/शैल।** राज्य सरकार ने रबी वर्ष 2018-2019 के लिए पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की शुरूआत कर दी है। इस संबंधा में बागवानी विभाग ने एक अधि सूचना जारी कर दी है और इसे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट www.hpagrisnet.gov.in से इस अधिसूचना की क पी को डाउनलोड कर प्राप्त कर सकता है।

# 59 मिन्ट पोर्टल बारे दी जानकारी

**शिमला/शैल।** सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यमी वर्ग की सुविधाओं व समस्याओं के लिए 59 मिन्ट पोर्टल की जानकारी प्रदान करने हेतु मुख्य अग्रणी जिला प्रबंधक कार्यालय द्वारा लायंस क्लब धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला कांगड़ा में कार्यरत बैंकों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यमियों ने भाग लिया।

यह जानकारी देते हुए मुख्य अग्रणी जिला प्रबंधक हरविन्द्र सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत उक्त पोर्टल को कैसे सफल बनाया जाए के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि उद्यमी कैसे इस पोर्टल द्वारा ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा उनकी समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान में जिला उद्योग केन्द्र के प्रबंधक विनय कुमार, आरसेटी के निदेशक कमल प्रकाश, एफएलसी के संयोजक आरएस राणा, पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय के ऋण प्रबंधक अरूण धीमान तथा मुख्य अग्रणी जिला प्रबंधक कार्यालय के प्रबन्धक राकेश शर्मा ने 59 मिन्ट पोर्टल बारे विस्तृत जानकारी दी।

हरविन्द्र सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यमियों को आने वाली कठिनाईयों का विस्तार पूर्वक अवलोकन किया गया तथा उनके निवारण हेतु उद्यमियों का आश्वस्त किया गया। कार्यक्रम में हस्तकला से सम्बंधित बैंक ऋण के बारे में भी बताया गया। उन्होंने शिल्पकारों को बताया कि जिन कारीगरों के पास पहचान पत्र नहीं हैं तथा जो इसके अभाव में ऋण प्राप्त नहीं कर सके उन कारीगरों को हस्तशिल्प विभाग कुल्लू द्वारा पहचान पत्र दिये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कारीगर पहचान पत्र के लिए निदेशक हस्तशिल्प विभाग कुल्लू से सम्पर्क करें। उन्होंने बताया कि इस तरह के अभियान का आयोजन हर सप्ताह मंगलवार व शुक्रवार को किया जाना निश्चित है।

# राज्य में मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करेगी 'मुख्यमंत्री मधु विकास योजना'

**प्रदेश में मधुमक्खी पालन न केवल मधु उत्पादन में वृद्धि के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, बल्कि मधुमक्खियों द्वारा निभाई जाने वाली जैविक तथा आर्थिक भूमिका की दृष्टि से भी आवश्यक है। राज्य में फलोत्पादन को ध्यान में रखते हुए मधुमक्खियों द्वारा पॉलीनेशन अर्थात् परागन की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है।**

**प्रदेश सरकार ने मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन देने के लिए 'मुख्यमंत्री मधु विकास योजना' आरम्भ की है। इस योजना के तहत प्रदेश में सभी वर्गों के मूल हिमाचली किसानों विशेषकर महिला व शारीरिक रूप से अक्षम किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी।**

**योजना में मधुमक्खी गृहों के साथ मधुमक्खी वंशों की खरीद पर अधिकतम 50 वंशों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत मधुमक्खी पालकों को 50 मधुमक्खी वंश प्रति लाभार्थी को 2000 रुपये प्रति मधुमक्खी वंश की लागत पर 80 प्रतिशत लागत राशि अर्थात् 1600 रुपये प्रति मधुमक्खी वंश प्रदान की जाएगी। कैल, चीड़, आम तथा भारतीय मानक ब्यूरो से मान्यता प्राप्त लकड़ियों द्वारा बनाए गए मधुमक्खी गृहों पर 50 मधुमक्खी गृह प्रति लाभार्थी को 2000 रुपये प्रति मधुमक्खी वंश की लागत पर 80 प्रतिशत लागत राशि अर्थात् 1600 रुपये प्रति मधुमक्खी गृह प्रदान की जाएगी।**

इस योजना के तहत मधुमक्खी पालन की सामग्री व उपकरणों पर एक सेट प्रति लाभार्थी को 20000 रुपये प्रति इकाई की लागत पर 80 प्रतिशत लागत राशि अर्थात 16000 रुपये प्रति मधुमक्खी वंश प्रदान की जाएगी। प्रत्येक जिले में 300 मधुमक्खी वंश वाले एक मधुमक्खी पालक को तीन लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। परिवहन उपादान के रुप में प्रवास अनुदान के तौर पर अंतरराज्यीय प्रवास के लिए 10000 रुपये प्रति वर्ष की लागत पर 5000 रुपये की राशि 100 मधुमक्खी वंश प्रति लाभार्थी को प्रति यात्रा प्रति वर्ष भी प्रदान की जाएगी।

दिवारों पर व मधुमक्खी गृहों में एपिस सेरेना मधुमक्खी वंशों के पालन के लिए मधुमक्खी पालकों को प्रोत्साहन के रूप में अधिकतम 5 मधुमक्खी गृहों की लागत का 100 प्रतिशत अर्थात् 1000 रुपये की राशि प्रति मधुमक्खी गृह प्रदान की जाएगी। 25 नए मधुमक्खी पालकों के लिए प्रति वर्ष 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत 400 रुपये की राशि प्रति दिन प्रति मधुमक्खी पालक को प्रदान की जाएगी। 20 व्यावसायिक मधुमक्खी पालकों के लिए खेतों व मधुमक्खी शालाओं में प्रति वर्ष सात दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत 1000 रुपये की राशि प्रति दिन प्रति मधुमक्खी पालक को प्रदान की जाएगी।

इसके अतिरिक्त 20 मधुमक्खी पालकों के लिए प्रख्यात देशी व विदेशी संस्थानों में 15 दिनों का ज्ञानात्मक भ्रमण भी आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत 7000 रुपये की राशि प्रति दिन प्रति मधुमक्खी पालक को प्रदान की जाएगी। मधु प्रक्रमण इकाई स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट की लागत का 100 प्रतिशत अर्थात् 50 लाख रुपये की राशि प्रति इकाई प्रदान की जाएगी।

दो बीघा भूमि पर मधुमक्खी वनस्पति रोपण के लिए मधुमक्खी पालकों को प्रोत्साहन के रूप में लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् अधिकतम 3500 रुपये की राशि प्रति मधुमक्खी पालक प्रति इकाई प्रदान की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, बागवानी मिशन के तहत प्रदेश में मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी वंशों के उत्पादन पर 50 प्रतिशत अनुदान जिसमें 5 लाख रूपये (अधिकतम 2000 मौन वंश प्रति वर्ष के उत्पादन पर) प्रदान करने का प्रावधान है। मधुमक्खी वंश के लिए 50 प्रतिशत अनुदान जिसमें 700 रूपये प्रति मधुमक्खी वंश (अधिकतम 50 मधुमक्खी वंश प्रति बागवान) प्रदान करने का प्रावधान है। मधुमक्खी गृह के लिए 50 प्रतिशत अनुदान जिसमें 800 रूपये प्रति मधुमक्खी गृह (अधिकतम 50 मधुमक्खी गृह प्रति बागवान) प्रदान करने का प्रावधान है। शहद एक्सट्रेक्टर, फूड ग्रेड कन्टेनर इत्यादि के लिए 50 प्रतिशत अनुदान जिसमें 7000 रूपये प्रति सैट प्रदान करने का प्रावधान है।

# सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एनसीडीसी कर रहा सराहनीय प्रयास

**शिमला/शैल।** ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सहकारी आंदोलन एक सार्थक भूमिका निभाता आर रहा है। हिमाचल प्रदेश में सहकारी सभाओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य किया जा रहा है। मंडी जिला में सहकारी क्षेत्र की एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (आईसीडीपी) का उद्घाटन राज्य स्तरीय सहकारिता सप्ताह के अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा विधिवत रूप से किया गया। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के सौजन्य से हिमाचल प्रदेश की यह अभी तक की सबसे बड़ी सहकारी परियोजना है।

सहकारी आन्दोलन का हमारे देश में एक लंबा इतिहास है और आज भारत का सहकारी आन्दोलन विश्व में सबसे बड़ा है। इस सहकारी नेटवर्क की राष्ट्रीय स्तर पर सहायता करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की स्थापना वर्ष 1963 में कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक संसदीय अधिनियम (एनसीडीसी एक्ट.1962) के अंतर्गत सहकारी समितियों के माध्यम से आर्थिक विकास करने हेतु की गई थी, जिसके लिए निगम द्वारा वित्त पोषण किया जाता है।

एनसीडीसी विशेष रूप से कृषि क्षेत्र के फसलोत्तर कार्यकलापों के पूर्ण विकास व वित्त पोषण का कार्य करता है। इन कार्यो मे बीजो, खाद व अन्य कृषि उत्पादों का विपणन, भण्डारण व प्रसंस्करण आदि भी शामिल है। इसके आलावा एनसीडीसी द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सहित समाज के अन्य कमजोर वर्गो आदि को मछली पालन, मुर्गी पालन, डेयरी व हथकरघा जैसे सहकारी विकास कार्यक्रमों के लिए कम ब्याज पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एनसीडीसी द्वारा औद्योगिक एवं सेवा सहकारिताओं को भी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त भी निगम डेयरी, शीत भंडारण, माल वाहक वाहनों, भंडार गृहों के निर्माण व मरम्मत, कम्प्यूटरीकरण आदि गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनसीडीसी द्वारा दी गई वित्तीय सहायता जोकि वर्ष 1962.63 में स्थापना के समय 2.36 करोड़ रूपये थी और वर्ष 2017.18 में बढ़कर 21,969.58 करोड़ रूपये हो गई है। वर्ष 1963 से आज तक निगम ने देश में विभिन्न सहकारी विकास कार्यक्रमों हेतु कुल मिलाकर 1,09,185.88 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता दिनांक 31 अक्टूबर) 2018 तक उपलब्ध करवाई है। जिसमें से स्थापना से अब तक (दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 तक) निगम हिमाचल प्रदेश राज्य को सहकारिता विकास हेतु कुल 844.46 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर चुका है, जोकि देश भर में प्रदान की गई कुल राशि का लगभग 1% है। इसमें 742.12 करोड़ रूपये ऋण के रूप में व 102.34 करोड़ रूपये का अनुदान प्रदेश को विभिन्न योजनाओं व कार्य-कलापों के तहत दिया गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सहकारिता की दृष्टि से अल्प विकसित राज्य है। अत: ऋण पर भारत सरकार द्वारा 20% का अनुदान भी दिया जाता हैए जिसमें प्रदेश को अब तक जिला स्तर के विकास के लिएए निगम आईसीडीपी के मध्यम से 237.09 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान कराई जा चुकी है। इनमें, एकीकृत सहकारी विकास परियोजना मंडी, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सौजन्य से हिमाचल प्रदेश की अभी तक की सबसे बड़ी सहकारी परियोजना है, जिसके लिए एनसीडीसी द्वारा 89.58 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। इसमें से वर्ष 2018-19 की किश्त के तहत अब तक 33. 64 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है।

एनसीडीसी द्वारा प्रदेश में तीन जिलों बिलासपुर, सिरमौर, हमीरपुर में इस परियोजना के द्वितीय चरण को पूरा करने के पश्चात् शिमला, कुल्लू, काँगड़ा व सोलन में परियोजना का कार्य चल रहा है, जबकि ऊना व चम्बा में पुन: लागू करने के बारे में निगम ने स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसमें डीपीआर बनाने का कार्य भी शुरू हो चुका है।

निगम सहकारी सभाओं/समितियों को उनके उत्कृष्ट कार्यकलापों हेतु 'सहकारिता उत्कृष्टता पुरस्कार' भी प्रदान करता रहा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष एक हिमाचल प्रदेश राज्य की अलग-अलग आठ समितियों ने अपने उत्कृष्ट कार्यकलापों के लिए महामहिम राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली से यह पुरस्कार प्राप्त किये हैं। वर्ष 2018 से पुरस्कार को राज्य स्तरिय कर प्रत्येक राज्य में पुरस्कारों की संख्या भी बढ़ा कर 8 कर दी गई है।

निगम के सहकारी संस्थान राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान एवं विकास अकादमी गुरुग्राम (हरियाणा) में राज्य सरकार के सहकारिता विभाग व सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को उनकी जरुरतानुसार प्रशिक्षण भी दिया जाता है। एनसीडीसी द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी की प्रिंटेड प्रति निगम के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, जबकि योजनाओं की जानकारी वेबसाइट www.ncdc.in से भी डाऊनलेड कर प्राप्त कर सकते हैं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

# पत्र बमों के साये में जयराम सरकार अब सीमेन्ट को लेकर वायरल हुआ पत्र

## महिला नेत्री के शिकायत पत्र को "मीटू" का अन्दाज देने वाले पत्रकारों को धर्मा ने भेजे एक करोड़ के नोटिस

**शिमला/शैल।** क्या प्रदेश की भाजपा सरकार और संगठन के भीतर कोई लावा उबलना शुरू हो गया है? यह सवाल पिछले कुछ अरसे में वायरल हुए कुछ पत्रों के बाद उठना शुरू हुआ है। क्योंकि सबसे पहले एक पत्र वायरल हुआ मुख्यमन्त्री के दोनों ओएसडी धर्मा और धर्माणी को लेकर। इस पत्र में दोनों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाये गये थे और पत्र लिखने वाले ने स्वयं को आरएसएस का सक्रिय कार्यकर्ता होने के दावा किया था। यह पत्र कई दिन तक मीडिया में चर्चा का विषय बना रहा लेकिन संघ या सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नही आयी।

इस पत्र के बाद कुल्लु की एक महिला नेत्री आशा महंत का एक भाजपा के प्रदेश संगठन मन्त्री पवन राणा के नाम लिखा शिकायती पत्र सामने आ गया। मीडिया के कुछ हल्कों में इस पत्र को ''मीटू'' का अन्दाज दे दिया गया। वैसे इस पत्र में महिला नेत्री ने ऐसा कुछ नही कहा है जिसे ''मीटू'' की संज्ञा दी जा सके। इस पत्र को लेकर मुख्यमन्त्री की प्रतिक्रिया आ गयी। उन्होने इस शिकायत को नकारते हुए इसे पिछले चुनावों में रही इस नेत्री की भूमिका से जोड़ दिया। लेकिन मुख्यमन्त्री की प्रतिक्रिया में यह स्पष्ट नही किया गया कि इसमें ''मीटू'' जैसा कुछ नही है। शायद इसी कारण से कुछ मीडिया इसे ''मीटू'' के अन्दाज में ले बैठा जिस पर शिशु धर्मा ने उस मीडिया को माफी मांगने और एक करोड़ का हर्जाना भरने का नोटिस दिया गया। इस नोटिस के बाद स्थिति और रोचक हो गयी है कि मीडिया और शिशु धर्मा में से कौन अपने स्टैण्ड पर कायम रहेगा। वैसे माना जा रहा है कि यह नोटिस मुख्यमन्त्री के संकेत के बाद ही दिये गये हैं।

अभी इन दो पत्रों की आंच शान्त भी नही हुई है कि एक तीसरा पत्र वायरल हो गया है। इस पत्र में जयराम सरकार के दस माह के कार्यकाल में ही सीमेन्ट की कीमतों का अप्रत्याशित रूप से बढ़ने का मुद्दा उठाया गया है। यह सही है कि इन दस महीनों में ही प्रदेश की सीमेन्ट कंपनीयों ने दो बार सीमेन्ट के दाम बढ़ाये हैं यह दाम बढ़ने से पहले सीमेन्ट कंपनीयों के प्रबन्धकों और उद्योग मन्त्री तथा मुख्यमन्त्री के बीच बैठकें होने का जिक्र किया गया है। उससे स्पष्ट हो जाता है कि इस तरह की बैठकें होने की जानकारी मुख्यमन्त्री के कार्यालय और उनके आवास के सूत्रों के सहयोग के बिना सामने नही आ सकती है। इस पत्र में उद्योग मन्त्री और देहरा के विधायक होशियार सिंह के बीच सीमेन्ट कीमतों को लेकर हुए विवाद की ओर भी संकेत किया गया है। होशियार सिंह आज भाजपा के सहयोगी विधायक हैं। यह पत्र ऊना, हमीरपुर और देहरा में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पत्र के वायरल होने के बाद पार्टी प्रमुख सत्तपाल सत्ती और उद्योग मन्त्री के बीच लंबी बैठक भी चर्चा का विषय है। यही नहीं इसके बाद सत्तपाल सत्ती और मुख्यमन्त्री के अतिरिक्त

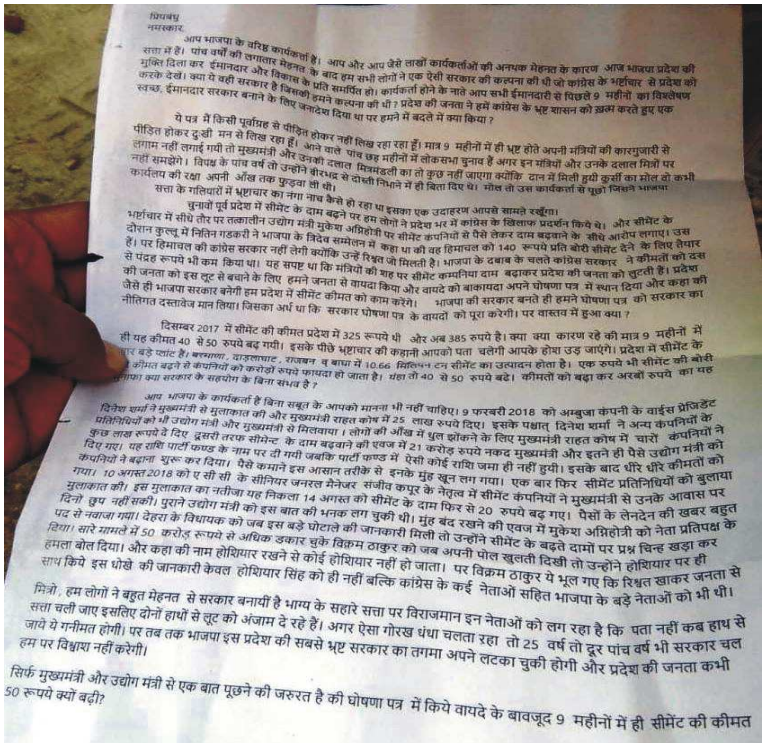

प्रधान सचिव संजय कुण्डु के बीच भी लंबी बैठके हुई हैं। विजिलैन्स का काम कुण्डु ही देख रहे हैं। इन बैठकों के बाद गुप्तचर ऐजैन्सीयां भी इस पत्र को लेकर काफी गंभीर हो गयी हैं। माना जा रहा है कि यह पार्टी के उन हल्कों से आया है जो आज सरकार और संगठन में मुख्य भूमिका में नही रह गये हैं लेकिन पार्टी और सरकार के भविष्य को लेकर बहुत गंभीर हैं। यह भी माना जा रहा है कि निकट में इस तरह के कई खुलासे दस्तावेजी प्रमाणों के साथ सामने आयेंगे।

अगले वर्ष के शुरू में ही लोकसभा चुनाव आने हैं। आज इस तरह के पत्र वायरल होने से यह स्पष्ट हो गया है कि संगठन और सरकार में सब कुछ ठीक- ठाक नही है। आज कांग्रेस विपक्ष के नाते सरकार पर जितनी भारी पड़ती जा रही है उसके मुकाबले में भाजपा, कांग्रेस को घेरने में पूरी तरह असफल सिद्ध हो रही है। मुख्यमन्त्री के अतिरिक्त इस संद्धर्भ में कोई भी गंभीर नज़र नही आ रहा है लेकिन इसी के साथ यह माना जा रहा है कि विजिलैन्स ने जिस तरह से कुछ पुराने मुद्दों को कुरेदने का काम शुरू किया है उनका अन्जाम भी ही कहीं एचपीसीए जैसा ही न हो।

# शिकायत और उस पर गया नोटिस

Sent from my Samsung Galaxy smartphone

------ Original message ------
From: asha23mahant <asha23mahant@gmail.com>
Date: 13/07/2018 11:12 a.m. (GMT+05:30)
To: pavenshimla@gmail.com
Subject: आदरणी पवन राणा जी-

मैं आशा महंत महिला मोर्चा अध्यक्षा कुल्लू मंण्डल आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि मेरे पति अश्विनी महंत जी OBC मोर्चा भाजपा कुल्लू जिला के अध्यक्ष है महोदय दिनांक 08-07-18 को मोर्चो की संयुक्त बैठक में ज्वाला जी गये थे जब मोर्चो की अलग-अलग से बैठके हुई तो OBC मोर्चा की बैठक मंडी संसदीय क्षेत्र के संगठन मंत्री श्री शिशु धर्मा जी विशेषरूप से बैठक में उपस्थित हुए उस प्रदेश स्तरीय OBC मोर्चा की बैठक में श्री शिशु धर्मा ने मेरा नाम आशा महंत करके खिड़ियो को लेकर झूठा लांछन मेरी गैर मौजूदगी में सबके सामने मेरे पति की मौजूदगी में लगाया यह बात मेरे पति ने घर पहुंचकर मुझे बताई जिससे मैं काफी आहत महसूस कर रही हूँ शिशु धर्मा जी की झूठी अफवाह के कारण मैं दीमागी तौर पर परेशान हूँ और मेरी बड़ी बदनामी हुई है और लोगों की नज़रो में गिर गई हूँ भाजपा कुल्लू मंडल की महिला मोर्चा अध्यक्ष एवं पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते कोई और उचित कदम उठाने से पहलेआपको अवगत कराना चाहती हूँ ताकि मेरे सम्मान की रक्षा हो तथा महिला के उपर झूठा लांछन लगाने के लिए श्री शिशु धर्मा पर उचित कार्यवाही की अपेक्षा करती हूँ

धन्यवाद सहित्
आशा महंत
अध्यक्षा महिला मोर्चा कुल्लू मंडला

Tara Singh Chauhan
Advocate
H.P.HIGH COURT
Email:tara_adv67@yahoo.com
Ref No. of 2018

C-1, 2nd Floor
M.C. Car Parking Complex
Cart road, Near High Court
Shimla, H.P.171001
Tel (o) 2658874(M) 98160-74056
Dated 14.11.2018

To

1. The Managing Director, News 18,
Global Broadcast News,
Express Trade tower, Plot No. 15-16, Sector 16-A, NOAIDA, U.P.

2. Sh. Shashi Bhushan Editor,
News 18 Himachal, Below HP Secretariat
Chhota Shimla, District Shimla -2.

3. Sh. Ranvir Singh, Correspondent,
News 18 Himachal, Below HP Secretariat
Chhota Shimla, District Shimla -2.

Subject:- Legal Notice.
Sir(s)

1. That the under signee has been instructed by Sh. Shishu Dharma son
Sh. Sukha Nand, resident of village and post office Jarol, Tehs
Kumarsain, District Shimla and presently working as Officer on speci
duty to the Hon'ble Chief Minister Himachal Pradesh (here-in- after to
referred as my client) to serve you with this notice on the following facts

(b) Damages for mental agonies, torture and physical harassment - Rs. One crore.

Now please take note that either all of you tender unconditional apology by telecasting on your channel during prime time in bold letters, within a week from the receipt of this notice, and to pay the damages to my client as quantified above, within a period of two weeks from receipt of notice, failing which my client will be constrained to have recourse to appropriate legal remedies i.e. civil as well as criminal against all of you at your risk and expense.

Copy of this notice has been retained in my office for further legal action.

(T.S.Chauhan)
Advocate